रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22082025-265641
CG-DL-E-22082025-265641

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 579] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 22, 2025/श्रावण 31, 1947
No. 579] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 22, 2025/SHRAVANA 31, 1947

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2025

फा. सं. एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-I-एचक्यू(ई).—आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 23 की उप-धारा (1) और (2) के खंड (ट) और धारा 29 की उप-धारा (2) के साथ पठित, धारा 54 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, आधार (सूचना की सहभाजिता) विनियम, 2016 को संशोधित करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत: —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों को आधार (सूचना की सहभाजिता) प्रथम संशोधन विनियम, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. आधार (सूचना की सहभाजिता) विनियम, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) में, विनियम 3 में, उप-विनियम (5) के पश्चात्, उप-विनियम (6) को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामत: —

"(6) प्राधिकरण, माता-पिता या संरक्षक की सहमति से ऐसे आधार संख्या को, जिसे एक जन्म प्रमाणपत्र के आधार पर और कोर बायोमेट्रिक सूचना एकत्र किए बिना, पाँच वर्ष से कम आयु के बालक के नामांकन उपरांत सृजित किया गया है, भारत के महापंजीयक या जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत नियुक्त किसी राज्य के मुख्य पंजीयक के साथ साझा कर सकता है, ताकि एक ही जन्म प्रमाणपत्र के आधार पर दोहरे नामांकन को रोका जा सके।"

3. मूल विनियमों में, उप नियम (3) के विनियम 5 में एक परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, नामत: —

"परन्तु यह कि आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 28 के उप विनियम (1) के खंड (ईए) के अंतर्गत मृत व्यक्ति के आधार संख्या को निष्क्रिय करने की स्थिति में इसकी आवश्यकता नहीं होगी।"

संजीव यादव, निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./312/2025-26]

नोट : मूल विनियम भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, संख्या 347, दिनांक 14 सितंबर, 2016 में अधिसूचना संख्या 13012/64/2016/विधि/यूआईडीएआई (2016 की संख्या 5), दिनांक 12 सितंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्या एचक्यू-13073/1/2024-अधि-II-एचक्यू /सी-1375(ई), दिनांक 25 जनवरी, 2024 (27 जनवरी, 2024 को प्रकाशित) के तहत किया गया था।

UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2025

F. No. HQ-16016/1/2023-EU-I-HQ(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 54, read with sub-section (1) and clause (k) of sub-section (2) of section 23 and sub-section (2) of section 29 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016, the Unique Identification Authority of India hereby makes the following regulations to amend the Aadhaar (Sharing of Information) Regulations, 2016, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Aadhaar (Sharing of Information) First Amendment Regulations, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Aadhaar (Sharing of Information) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as the principal regulations), in regulation 3, a sub-regulation (6) shall be inserted after sub-regulation (5), namely: —

"(6) The Authority may, with the consent of parent or guardian, share the Aadhaar number, which was generated pursuant to enrolment of a child below the age of 5 years on the basis of a birth certificate and without collecting the core biometric information, with the Registrar General of India or Chief Registrar for a State appointed under the Registration of Births and Deaths Act, 1969 to prevent duplicate enrolment on the basis of the same birth certificate."

3. In the principal regulations, in regulation 5, in sub-regulation (3), a proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that the same shall not be required in case of deactivation of Aadhaar number of a deceased person under clause (ea) of sub-regulation (1) of Regulation 28 of The Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016."

SANJEEV YADAV, Director

[ADVT.-III/4/Exty./312/2025-26]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 347, dated the 14th September, 2016, *vide* notification number 13012/64/2016/Legal/UIDAI (No. 5 of 2016) dated the 12th September, 2016, and were last amended *vide* Notification number HQ-13073/1/2024-AUTH-II-HQ/C-13751(E), dated the 25th January, 2024, published on the 27th January, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.08.22 22:10:31 +05'30'